



प्राप्ति 2 (नियम 11(4) देखिए)

आवेदन क्रमांक/स्कूल क्रमांक 120398/
17484

कार्यालय शिक्षा अधिकारी (बाणुदाम) सम्पर्कदण्ड

स्कूल SOPHIA CONVENT SCHOOL

मान्यता का प्रकार - नवीनीकरण मान्यता

तिथि - 2022-23

Signature valid until 2022

Digitally signed by
Date: 2022-04-06 16:02:20 +05:30
Reason: Issued by: deo khandwa

प्रति

प्रधान (SOPHIA CONVENT SCHOOL)

विवर

नि शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकारी अधिनियम 2009 की धारा 18 के प्रयोगन के लिए नि शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 के नियम 11 के उपनियम (4) के अधीन स्कूल मान्यता प्रमाण पत्र।

महोदय / महोदया:

आपके आवेदन पत्र दिनांक 05/02/2022 तथा इस संबंध में स्कूल से परामर्शदारी पत्र द्वारा / निराजन के सन्दर्भ में, मे आपकी स्कूल - SOPHIA CONVENT SCHOOL डाक्स कोड - 23200712606 स्कूल क्रमांक - PS 17484 को कक्षा 9ी शास्त्री-जीवी से आठवीं तक के लिए दिनांक 01/04/2022 से 31/03/2025 तक कालावधि के लिए मान्यता पटान करता है।

उपरोक्त स्वीकृति निम्नलिखित रूपों की पूर्ति के अधारपौर्ण होती है।

- मान्यता विस्तारित नहीं होती तथा कक्षा 8 से आगे की मान्यता स्वदृष्टा की कोई बाह्यता किसी भी रूप से विवरित नहीं होती।
- स्कूल नि शिल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (उपर्युक्त 1) तथा नि शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम (उपर्युक्त 2) के उपर्युक्त का पालन करेगा।
- स्कूल अपने पढ़ाई की सीमा के बचत समूह तथा कमज़ोर वर्ग के बालकों को कक्षा 1 में न्यूनतम 25 परिवार देगा। उस दशा में, स्कूल यदि साहायता पालन स्कूल है तो इसमें प्रवेशित बालकों को उस अनुपात में नि शुल्क और अनिवार्य पारमिक शिक्षा देगा जिस रूप में उसके व्यावधारी व्यय को पूरा करने हेतु इस प्रकार व्यावधारी आवासी साहायता या अनुदान प्राप्त होता है किन्तु यह न्यूनतम पर्याप्त प्रतिशत के अधीन होता बताते हैं कि जहाँ स्कूल पूर्ण स्कूल (यी स्कूल) शिक्षा दी जाती है वही अधिनियम कीपारा 12 की उपर्युक्त (1) के छठे (क) से (ग) के उपर्युक्त पी-स्कूल में प्रवेश के लिए लागू होते हैं।
- पंक्ति 3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए स्कूल को अधिनियम की धारा 12(2) के अनुसार दर्या की परिपूर्ति की जाएगी तथा ऐसी परिपूर्ति प्राप्त करने के लिए स्कूल को पृथक से देक जाना उपलब्ध कराना होता।
- सोसाइटी/स्कूल कोई भी कैफियतेनालीक का सद्य ही बाह्यता तथा बालक या उसके पालक या अभिभावक के साथ किसी उल्लंघन घटिया को नहीं अपनाएगा।
- स्कूल किसी भी बालक को प्रवेश देने से इकार नहीं करेगा।
 - (क) असु जे सदूत के आभाव से
 - (ख) यदि प्रवेश के लिए विहित की गई विस्तारित कालावधि के परामर्श ऐसा प्रवेश याहा गया है।
 - (ग) धर्म जाति या मूलवंश जन्मस्थान या इनमें से किसी भी आधार पर।
- स्कूल सुनिश्चित करेगा कि -
 - किसी स्कूल में प्रारम्भिक शिक्षा पूर्ण होने तक किसी भी बालक को किसी कक्षा में देका या निष्कासित नहीं किया जाएगा।
 - किसी बालक को शारीरिक या मानसिक रूप से प्रतावृत नहीं किया जाएगा।
 - बारमिक शिक्षा पूर्ण होने तक बालक को कोई बोई बोई परिवार उत्तीर्ण करने कि आवश्यकता नहीं होती।
 - नियम 19 के अधीन प्रारम्भिक शिक्षा पूर्ण करने वाले बारमिक बालक को प्रमाण पत्र दिया जाएगा।
 - अधिनियम के उपर्युक्त के अनुसार नि शक्ति/विशेष आवश्यकता वाले बालकों को समाहित किया जाएगा।
 - अधिनियम कि धारा 23(1) कि अधीन निर्धारित न्यूनतम योग्यता अनुसार शिक्षकों कि अर्त कि जाएगी, बताते हैं कि वर्तमान में कार्यरत जो शिक्षक इस अधिनियम के पालनम होने पर न्यूनतम आहता नहीं रखते हैं, उन्हे अधिनियम के पालनम होने के दिनांक से 5 दर्ज कि अवधि में निर्धारित न्यूनतम आहता प्राप्त करनी होती।
 - शिक्षकों को अधिनियम कि धारा 24(1) के अधीन विनियोगित करतेर्थी का पालन करना होता।
 - प्रायोग दीयिंग कि गतिविधियों में शिक्षक स्वयं भाग नहीं लेगे/होंगे।
 - स्कूल समुचित प्राप्तिकारी द्वारा निर्धारित पाठ्यपद्धति का अनुसरण करेगा।
 - अधिनियम कि धारा 19 में विहित कि ए अनुसार स्कूल में उपलब्ध सुविधा के अनुपात में स्कूल में बच्चों का नामांकन किया जाएगा।
 - स्कूल द्वारा अधिनियम कि धारा 19 में विनियोगित स्कूल के मालक एवं मापदण्ड बनाए रखे जाएंगे। अतिम निरीक्षण के समय स्कूल में उपलब्ध सुविधाएं निम्नानुसार पाई जाएंगी।

S. grish

Sophia Convent Sr. Sec. School

Indore Road,

KHANDWA-450 001 (M.P.)

| स्कूल का विवरण | | | | | | | पुलिस धाना रेखांश अक्षांश | | |
|-----------------------|-----------------|-------------|-------------------|----------------------|-------------------|---------|---------------------------|-----------|-------------|
| स्कूल | डाइस | शिक्षण जिला | क्षेत्र का प्रकार | विकास खण्ड(द्वारोंक) | याम / वार्ड | पिन कोड | धाना मोघतरोड | 21.82 683 | 76.316 9494 |
| SOPHIA CONVENT SCHOOL | 232907 12606 | 17 खण्डवा | शहरी | KHANDWA | JAI SANTOSHI MATA | 450001 | धाना मोघतरोड | | |

स्कूल की सामान्य जानकारी

स्कूल पारंभ होने की तिथि 16/07/2002

क्या स्कूल किसी सोसाइटी/न्यास/सगठन द्वारा संचालित है? हाँ

सोसाइटी/न्यास/सगठन का नाम KHANDWA DIOCESAN EDUCATION SOCIETY

सोसाइटी/न्यास/सगठन का पंजीयन क्रमांक IND/5581/2001

स्वामी का नाम

स्कूल के प्रबंधक/ अध्यक्ष/ सभापति का नाम Fr. Jimmy Vayalil

पदनाम MANAGER

मोबाइल 7772892277

ई-मेल jmvayalil@rediffmail.com

कार्यालय का पता St Pius Seminary Anand Nagar, Khandwa (M.P.)

कार्यालय का दूरभाष 7772892277

स्कूल की पक्षति

शिक्षण का माध्यम अंग्रेजी

मान्यता हेतु स्कूल का प्रकार नहानिधा

क्या स्कूल आवासीय है? नहीं

क्या स्कूल केवल दिव्याग बच्चों हेतु संचालित है? नहीं

क्या स्कूल को अल्पसंख्यक होने का प्रमाण पत्र जारी किया गया है? हाँ

प्रवेश की प्रारंभिक कक्षा सी पाइमरी-जर्सी

प्रारंभिक कक्षा में प्रवेश की वयन्त्रम आयु 3

स्कूल की अंतिम कक्षा आठवीं

क्या स्कूल को शासन / स्थानीय पारिकारी अनुदान प्राप्त है? नहीं

क्या स्कूल मान्यता प्राप्त है? हाँ

पारिकारी का नाम CBSE

मान्यता क्रमांक 1030410

डाइस कोड(DISE)

क्या स्कूल राज्य सरकार/ केंद्र सरकार / स्थानीय पारिकारी से नहीं

निःशुल्क अध्यवा रिआयती दर पर किसी भूमि, भवन, उपकरण

अथवा अन्य सुविधाएं प्राप्त होने के कारण निश्चित संख्या में बत्तकों

को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने हेतु बाध्य है?

Dr. Qrich

Sophia Convent Sr. Sec. School
Indore Road,
KHANDWA-450 001 (M.P.)

स्कूल का क्षेत्रफल

| विवरण | आवेदन में दर्ज |
|---|----------------|
| स्कूल के भवन की स्थिति | स्वयं का भवन |
| स्कूल का कुल क्षेत्रफल (वर्ग फीट में) | 344684 |
| स्कूल का निर्मित क्षेत्रफल (वर्ग फीट में) | 65200 |
| खेल मैदान का क्षेत्रफल (वर्ग फीट में) | 120000 |

अधिसंरचना का विवरण

| विवरण | संख्या | औसत आकार(वर्ग फीट में) |
|--|--------|------------------------|
| कक्षा आठवीं तक उपयोग में आ रहे कक्षा कक्ष | 48 | 600 |
| कार्यालय कक्ष-सह-भण्डार कक्ष-सह-प्रधानाध्यापक कक्ष | 3 | 600 |
| कार्यालय कक्ष-सह-भण्डार कक्ष-सह-प्रधानाध्यापक कक्ष | 3 | 600 |
| कार्यालय कक्ष-सह-भण्डार कक्ष-सह-प्रधानाध्यापक कक्ष | 3 | 600 |
| भोजनालय-सह-भण्डार | 0 | 0 |
| भोजनालय-सह-भण्डार | 0 | 0 |
| भोजनालय-सह-भण्डार | 0 | 0 |

पाठ्यक्रम एवं पाठ्यक्रम का विवरण

| विवरण | आवेदन में दर्ज | फोटो |
|--|----------------|------|
| स्कूल में उपलब्ध अन्य सुविधाओं का विवरण | | |
| क्या सभी सुविधाओं तक पहुंच बाधा रहत है | हाँ | |
| पठन पाठन सामग्री की हस्ताक्षरित सूची | हाँ | |
| खेलकूट एवं खेल उपकरण की हस्ताक्षरित सूची | हाँ | |
| पुस्तकों की संख्या | 999 | |
| पत्रिकाएं/समाचार पत्र | 8 | |
| पेयजल सुविधा का प्रकार | Well | |
| पेयजल सुविधा की संख्या | 5 | |
| शौचालय का प्रकार (भारतीय/परिधिभी/नहीं) | Indian | |
| लड़कों के लिए पृथक शौचालयों की संख्या | 20 | |
| लड़कियों के लिए पृथक शौचालयों की संख्या | 20 | |
| विकलांग बच्चों के लिए उपयुक्त शौचालयों की संख्या | 6 | |
| क्या अग्नि सुरक्षा प्रणाली उपलब्ध है | हाँ | |

नामांकन एवं शुल्क का विवरण

| कक्षा | कुल सीट | कुल नामांकित छात्र | स्कूल द्वारा आरक्षित सीट | वार्षिक शुल्क |
|-------|---------|--------------------|--------------------------|---------------|
|-------|---------|--------------------|--------------------------|---------------|

S. grish

Sophia Convent Sr. Sec. School
Indore Road,
KHANDWA-450 001 (M.P.)

विद्यालय के पार्श्वांतर अथवा ट्रूटासोसायटी के अध्यक्ष/प्रबन्धक का प्रमाणीकरण

विवरण

हैं / नहीं

प्रमाणित किया जाता है कि स्कूल ने राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा संधारित वेबसाइट पर उपरोक्त वर्णित जानकारी भी दर्ज करा दी है।

प्रमाणित किया जाता है कि समुचित प्राधिकारी द्वारा प्राप्तिकृत अधिकारी किसी अधिकारी के निरीक्षण के लिए स्कूल खुला रहेगा।

प्रमाणित किया जाता है कि स्कूल ऐसी रिपोर्ट एवं जानकारी, जो कि अपेक्षित की जाए, जिला शिक्षा अधिकारी को समय समय पर दिए जाने और स्कूल की मान्यता की शर्तों की पूर्ति की निरतरता बनाए रखने या स्कूल के कार्य में आने वाली कमियों को दूर करने के लिए समुचित प्राधिकारी या जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा जारी ऐसे अनुदेशों के पालन का वचन देता है।

प्रमाणित किया जाता है कि स्कूल द्वारा इस अधिनियम के क्रियान्वयन से संबंधित अभिलेख जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा प्राप्तिकृत किसी अधिकारी या समुचित अधिकारी को निरीक्षण के लिए किसी भी समय दिए जाएंगे तथा स्कूल, यथास्थिति, संस्ट का राज्य की विधानसभा के प्रति जवाबदेही या कर्तव्य के निवेदन के लिए केंद्र और/या राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकारी या प्रशासन को समर्त्त ऐसी जानकारिया, जो कि आवश्यक हो, प्रस्तुत करेगा।

विद्यालय, सहाम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित अधिकारित मान्यता की शर्तों का पालन करेगा।

मान्यता संबंधी दस्तावेज़

विवरण

अपलोड है (हैं / नहीं)

स्कूल द्वारा संघातित पुस्तकों की जानकारी

| कक्षा | विषय | पुस्तक | लेखक | आईएसबीएन | अधिकतम खुदरा न. | मूल्य |
|-------|------|--------|------|----------|--------------------|-------|
|-------|------|--------|------|----------|--------------------|-------|

अध्यापन कर्मचारियों का विवरण

| | | | | | |
|---------------------------------|----------|-------------------------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------------|
| शिक्षक का नाम पिता / पति का नाम | जन्मतिथि | शिक्षणिक अहंता व्यावसायिक विषय सहित | अध्यापन अहंता अनुभव(महीनों में) | नियुक्ति दिनांक | कक्षा जिसमें पढ़ाते हैं |
|---------------------------------|----------|-------------------------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------------|

अधिनियम की धारा 12(1)(g) के प्रयोगन के लिए पड़ोस की सीमा

गाम / वार्ड

पड़ोस का प्रकार

- लेखे संपरीक्षित किए जाएंगे तथा धार्ड अकाउट द्वारा स्वीकृत होंगे और उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार होंगा। प्रत्येक लेखाओं के विवरण कि एक प्रति प्रतिवर्ष जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी जाएगी।
- आपकी स्कूल का मान्यता कोड नंबर 17484 एवं डाइसकोड (DISE) 23290712606 है। इस कार्यालय के साथ प्रशासन में यह कोड नंबर सदर्भान्ति किए जाएं।
- ऐसी रिपोर्ट और जानकारी स्कूल द्वारा प्रस्तुत कि जाएगी, जो राज्य शिक्षा केंद्र/ जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा समय -समय पर अपेक्षित कि जाए, और स्कूल राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनु अनुदेशों का पालन करेगा, जैसा कि स्कूल के संघालन कि कमियों को दूर करने के लिए अथवा मान्यता कि शर्तों कि निरन्तर पूर्ति सुनिश्चित करने हेतु जारी किए जाए।
- सोसायटी/न्यास, यदि कोई हो, के पंजीयन का नवीकरण किया जाएगा।
- अन्य शर्तें सलग्न उपाधि "तीन" के अनुसार होंगी।
- अधिनियम एवं नियम के उपबोधों और मान्यता की शर्तों का उल्लंघन पाये जाने तथा सिद्ध हो जाने पर मान्यता वापस ले ली जाएगी।

भवदीय

हस्ताक्षर एवं पठ नुस्खा

नाम जिला शिक्षा अधिकारी

जिला शिक्षा अधिकारी

जिला - खण्डवा



Sophia Convent Sr. Sec. School
Indore Road,
KHANDWA-450 001 (M.P.)